Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016 (KARTIKA 13, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2016

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

संख्या 4728–प0पा0–4–2016/12520.—पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हिसार जिले में बलू बर्ड टूरिस्ट कॉम्पलैक्श लेक हिसार को एवियन इन्फलूएंजा (एच. 5 एन.8) से प्रभावित क्षेत्र पाया गया है। इस क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे को प्रभावित जोन घोषित किया जाता है तथा एक से दस किलोमीटर तक के क्षेत्र को एवियन इन्फलूएंजा निरीक्षण क्षेत्र घोषित किया जाता है।

कोई भी पक्षी, अण्डे या पक्षी प्रजाति का फीड उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। यद्यपि स्वस्थ पक्षी, अण्डे या फीड उपरोक्त क्षेत्र में लाया जा सकता है।

विनीत महाजन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 4 नवम्बर, 2016.